न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : ब्रजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 50/2017

अपीलाण्ट :–

स्वर्गीय समरथा माली के वैध प्रतिनिधीगण

1/1 नेमाराम ,

1/2 वागाराम

पुत्रगण स्व. समरथाजी, जातिगण माली,

निवासीगण पुनाडिया,तहसील पाली,जिला पाली(राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. स्व. रतिया पुत्र जेठा मेघवाल के वैध प्रतिनिधिगण

   1/1 मानाराम पुत्र स्व. श्री रतिया मेघवाल, निवासी पुनाडिया तहसील बाली जिला पाली(राज.)

2. तहसीलदार, बाली जिला पाली

3. स्व. देवा पुत्र किसना माली के वैध प्रतिनिधि–

   3/1 प्रभुराम पुत्र स्व. श्री देवाराम,

   3/2 धन्नाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम,

   3/3 अन्नाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम,

   3/4 लुम्बाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम,

   3/5 नारायणलाल पुत्र स्व. श्री देवाराम,

   3/6 लहरी बेवा देवाराम

   निवासीगण पुनाड़िया,तहसील बाली,जिला पाली(राज.)

   3/7 श्रीमति कन्या पत्नी श्री लालाराम, निवासी ग्राम धणी, पुत्री स्व. श्री देवाराम

   3/8 श्रीमति पेपी पत्नी श्री जीवाराम माली ग्राम दातीवाडा, तहसील बाली,जिला पाली(राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उपस्थित :—

1. श्री नारायणलाल कुमावत विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री मनीष राजपुरोहित विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक : 14.09.2021

अपीलान्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 220/08 बअनवान समरथा के कायम मुकाम नेमाराम वगैरह बनाम रतिया के कायम मुकाम मानाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2017 के विरूद्व पेश की। जिसे दर्ज रजिस्टर्ड की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये समन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि मौजा ग्राम पुनाड़िया तहसील बाली जिला पाली की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 65 रकबा 0.17 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम व चारानी सोयम, खसरा संख्या 66 रकबा 0.55 हैक्टेयर किस्म चारानी सोयम व जाव सोयम, खसरा संख्या 68 रकबा 0.46 हैक्टेयर किस्म चारानी सोयम व जाव सोयम, खसरा संख्या 77 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन बेरा, खसरा संख्या 78 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन सड़ा, खसरा संख्या 79 रकबा 0.30 हैक्टेयर किस्म चारानी सोयम व जाव सोयम, खसरा संख्या 80 रकबा 0.33 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम व चारानी सोयम, खसरा संख्या 81 रकबा 1.92 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम व चारानी सोयम, खसरा संख्या 82 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम व चारानी सोयम, खसरा संख्या 83 रकबा 0.66 हैक्टेयर किस्म चारानी सोयम व जाव सोयम, खसरा संख्या 171 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम व गैर मुमकीन समाधि की कृषि भूमि जिसका कुल रकबा 30.14 बीघा आयी हुई है। जो कृषि भूमि पूर्व में केसा पुत्र गला सिरवी का 1/3 हिस्सा, गमना पुत्र दीपा रेबारी का 1/3 हिस्सा, रतिया पुत्र जेठा का 1/3 हिस्से की खातेदारी भूमि थी। उक्त कृषि भूमि को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खातेदारान केसा पुत्र गला सिरवी का 1/3 हिस्सा, गमना पुत्र दीपा रेबारी का 1/3 हिस्सा, रतिया पुत्र जेठा भांबी का 1/3 हिस्सा सभी सहखातेदारों ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाण दिनांक 02.01.1962 को स्व. समरथा वगैरहा के नाम से है। बेचाण हस्तान्तरण कर दी थी। तब से वादीगण अपीलान्ट वादग्रस्त कृषि भूमि पर बहैसियत खरीददार खातेदार के काबिज है। वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् पूर्व खातेदारान द्वारा वादीगण के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज दिनांक 02.01.1962 के आधार पर राजस्व कर्मचारियों ने केसा पुत्र गला सिरवी के 1/3 वें हिस्से, गमना पुत्र दीपा रेबारी का के 1/3 वें हिस्से यानि वादग्रस्त कृषि भूमि के 2/3 वें हिस्से बाबत् ही वादीगण के नाम का नामान्तरण संख्या 41 खोला। जो ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/3 वें हिस्से के पूर्व सहखातेदार रतिया पुत्र जेठा भांबी के संबंध में बेचाण दस्तावेज दिनांक 02.01.1962 पंजीयन दिनांक 12.01.1962 को राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 42ख के विरूद्व मानते हुये राजस्व कर्मचारी ने रतिया पुत्र जेठा भांबी का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित किये जाने एवं वादीगण का नाम प्रविष्टि किये जाने बाबत् कोई नामान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न नहीं की। जिससे राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/3 वें हिस्से में चला आ रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् वादीगण अपीलान्ट के हक में पूर्व सहखातेदारान द्वारा दिनांक 02.01.1962 को निष्पादित किये गये विक्रय विलेख से वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से के सहखातेदार रतिया पुत्र जेठा भांबी के सहखातेदारी हक हकूको का हस्तान्तरण विधिवत् रूप से वादीगण अपीलान्ट को हो चुका था। तब से वादीगण अपीलान्ट उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रतिवादी रतिया पुत्र जेठा के 1/3 वें हिस्से पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी के 1/3 वें हिस्से जो राजस्व रेकर्ड में आज भी प्रतिवादी संख्या 1 नाम अंकित है पर वादीगण अपीलान्ट का कब्जाकाश्त प्रतिवादी द्वारा निष्पादित बेचाण रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 02.01.1962 से हैं। जो कब्जाकाश्त प्रतिवादी के हक हकूको के विरूद्व प्रतिकूल है। वादीगण अपीलान्ट का प्रतिवादी के हिस्से की भूमि पर दिनांक 02.01.1962 से आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के खातेदार के हैसियत से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रतिवादी व सम्पूर्ण संसार की जानकारी में जाहिरा (खुलमखुल्ला) काबिज होने से वादीगण अपीलान्ट उक्त कृषि भूमि में से शेष 1/3 वें हिस्से के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार हो चुके है। क्योकि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के विरूद्व बेदखली का वाद प्रस्तुत करने की अवधि भी गुजर चुकी है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/3 वें हिस्से बाबत् बेदखली हेतु वाद प्रस्तुत करने की म्याद गुजर जाने से अपीलान्ट को उक्त कृषि भूमि में खातेदार अधिकार निहित हो चुके है। वादग्रस्त कृषि भूमि के 2/3 वें हिस्से पर अपीलान्ट वादीगण का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज अनुसार विधिवत् कब्जाकाश्त दिनांक 02.01.1962 से है। जो प्रतिकूल कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। इसी प्रकार अपीलान्ट ने उक्त स्व. रतिया पुत्र जेठा को वादग्रस्त कृषि भूमि से दिनांक 02.01.1962 से निष्कासित कर भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार स्व. रतिया पुत्र जेठा का बेदखली का वाद प्रस्तुत करने की अवधि गुजर जाने से उक्त स्व. रतिया पुत्र जेठा की सहखातेदारी का हक अवधि बाधित हो चुका है तथा प्रतिकूल कब्जे व खरीद के आधार पर अपीलान्ट में खातेदारी अधिकार निहित हो चुके है। अपीलान्ट वादीगण दिनांक 02.01.1962 से प्रतिकूल कब्जे के तहत काबिज होने से उक्त 1/3 हिस्से के सम्पूर्ण बाबत् अन्य सहखातेदारान के साथ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण अपीलान्ट के हक में दिनांक 02.01.1962 को बेचाण दस्तावेज निष्पादित कर पंजीबद्व करवाये जाने से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में अपीलान्ट के हक अधिकार निहित हो जाते हैं तथा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान दिनांक 01.05.1964 को लागू हुये है तथा दिनांक 01.05.1964 के पूर्व में दिनांक 02.01.1962 को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/3 वें हिस्से को स्व. रतिया पुत्र जेठा कौम भांबी द्वारा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बेचाण हस्तान्तरण की है। ऐसी स्थिति में स्व. रतिया पुत्र जेठा कौम भांबी द्वारा अपने खातेदार हक हकूको रजिस्टर्ड विक्रय विलेख धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान दिनांक 01.05.1964 के लागू होने से पूर्व निष्पादित किये है। इस प्रकार उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पर धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान दिनांक 01.05.1964 से लागू है। उक्त धारा के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कोई भूतलक्ष्य प्रभाव नहीं है। इस कारण से उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 02.01.01962 पर धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है और उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से अपीलान्ट को खातेदारी हक अधिकार विधिक रूप से स्थानान्तरण हो गये है। तद्नुसार वादग्रस्त कृषि भूमि में से स्व. रतिया पुत्र जेठा के 1/3 वें हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं तथा मौके पर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का वाद डिक्री किये जाने का निर्णय किया।

रेस्पोडेन्ट की ओर से वकील अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में से अपने 1/3 वें हिस्से की कृषि भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 02.01.1962 को निष्पादित कर दिया था। तद्नुसार अपीलान्ट उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों अनुसार अनुसूचित जाति के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि को अपने अनुसूचित जाति वर्ग के अलावा किसी अन्य को बेचाण हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता। जबकि उक्त कृषि भूमि में स्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक हिस्से की कृषि भूमि का बेचाण हस्तान्तरण अपीलान्ट को किया है। जो हस्तान्तरण रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति का होने से व अपीलान्ट अन्य पिछड़ा वर्ग जाति का होने से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्व होने से उक्त हस्तान्तरण से अपीलान्ट को कोई हक अधिकारी प्राप्त नहीं होते है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्व विक्रय विलेख दिनांक 02.01.1962 निष्पादित करवाया है। धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की मंशा किसी भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के ब्लॉक की भूमि किसी अन्य जाति को बेचाण, हस्तान्तरण आदि नहीं हो, यह रही है, तो ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय विलेख से अनुसूचित जाति भांबी से अन्य पिछड़ा वर्ग जाति माली को कृषि भूमि का बेचाण हस्तान्तरण हुआ है। जो पूर्णतः धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों व मंशा के विरूद्व है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही के निर्देश पूर्णतः विधि व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विधि के प्रावधानों के विरूद्व है। धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान की मंशा किसी भी अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति की भूमि को अन्य जाति के व्यक्ति खरीद कर या अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं करें। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के कार्यवाही हेतु अधीनस्थ तहसीलदार जी को निर्देश पूर्णतः विधि व विधि के प्रावधानों के विरूद्व है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त कृषि भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जाकाश्त है तथा आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उनके खातेदारी हक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और न ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर उक्त विक्रय विलेख से अपीलान्ट को कोई खातेदारी हक अधिकार प्राप्त होते है। तथा अपीलाण्ट द्वारा वक्त बहस प्रार्थना प्रस्तुत कर रेस्पो. सं. 1 का वादग्रस्त कृषि भूमि पर खातेदारी हक अधिकार व कब्जा काश्त स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.05.2017 को देखने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 02.01.1962 को धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्व मानते हुये वादीगण अपीलान्ट का वाद खारिज किया है। यहां पर न्यायालय को यह देखना है कि वादग्रस्त सम्पति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीद की है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जाति से भांबी है। जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। जिससे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने खरीद की है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग जाति का व्यक्ति है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त विक्रय विलेख धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्व निष्पादित हुआ है। जिससे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जहां तक धारा 175 आरटी एक्ट की कार्यवाही के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया वह पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विरूद्व दिया गया है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाति का गरीब व्यक्ति है और धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान की मंशा यह है कि किसी भी अनुचित जाति के व्यक्ति की जमीन किसी अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय, हस्तान्तरण आदि नहीं हो तथा अनुचित जाति के व्यक्ति के पास उसकी कृषि भूमि रहे। इसी उद्वेश्य से धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू किये गये है। ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में धारा 42बी के उल्लघंन में विक्रय विलेख निष्पादित होने से वादी का वाद खारिज किया जाना उचित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कृषि भूमि के संबंध में धारा 175 आरटी एक्ट के निर्देश अधीनस्थ तहसीलदार को विरूद्व दिये गये है।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 220/08 समरथा के कायम मुकाम नेमा वगैरहा बनाम रतिया के कायम मुकाम मानाराम वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2017 को यथावत् रखा जाता हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कृषि भूमि के संबंध में धारा 175 आरटी एक्ट के तहत् अधीनस्थ तहसीलदार को दिये गये निर्देश को निरस्त किया जाता है क्योकि उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज है। जो कि अनुसुचित जाति संवर्ग से है अतः इसे यथावत रखे जाने हेतु अधीनस्थ तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है तथा तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

आज दिनांक 14-09-2021 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन चोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : ब्रजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 50 / 2017

अपीलाण्ट :–

स्वर्गीय समरथा माली के वैध प्रतिनिधीगण

1 / 1 नेमाराम ,

1 / 2 वागाराम

पुत्रगण स्व. समरथाजी, जातिगण माली,

निवासीगण पुनाडिया,तहसील पाली,जिला पाली(राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. स्व. रतिया पुत्र जेठा मेघवाल के वैध प्रतिनिधिगण

   1 / 1 मानाराम पुत्र स्व. श्री रतिया मेघवाल, निवासी पुनाडिया तहसील बाली जिला पाली(राज.)

2. तहसीलदार, बाली जिला पाली

3. स्व. देवा पुत्र किसना माली के वैध प्रतिनिधि–

   3 / 1 प्रभुराम पुत्र स्व. श्री देवाराम,

   3 / 2 धन्नाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम,

   3 / 3 अन्नाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम,

   3 / 4 लुम्बाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम,

   3 / 5 नारायणलाल पुत्र स्व. श्री देवाराम,

   3 / 6 लहरी बेवा देवाराम

   निवासीगण पुनाडिया,तहसील बाली,जिला पाली(राज.)

   3 / 7 श्रीमति कन्या पत्नी श्री लालाराम, निवासी ग्राम धणी, पुत्री स्व. श्री देवाराम

   3 / 8 श्रीमति पेपी पत्नी श्री जीवाराम माली ग्राम दातीवाडा, तहसील बाली,जिला पाली(राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री नारायणलाल कुमावत विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री मनीष राजपुरोहित विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

परिणामस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 220/08 समरथा के कायम मुकाम नेमा वगैरहा बनाम रतिया के कायम मुकाम मानाराम वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2017 को यथावत् रखा जाता हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कृषि भूमि के संबंध में धारा 175 आरटी एक्ट के तहत् अधीनस्थ तहसीलदार तहसीलदार को दिये गये निर्देश को निरस्त किया जाता है क्योकि उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज रहे जो कि अनुसुचित जाति संवर्ग से है अतः इसे यथावत रखे जाने हेतु अधीनस्थ तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है।

आज दिनांक 14-09-2021 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली